रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 551] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 19, 1985/कार्तिक 28, 1907

No. 551] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 19, 1985/KARTIKA 28, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1985

का.आ. 837(अ)/18ए/औ. वि. वि.अ./85—भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं. का.आ. 725(अ)/18ए/औ.वि वि.अ./72, तारीख 25 नवम्बर, 1972 (जिसे इसमें आगे उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा सर्म इंडिया मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध 24 नवम्बर, 1977 तक की जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, के लिए प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए एक प्रबन्ध बोर्ड को प्राधिकृत किया गया था ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं.का.आ. 630(अ)/18ए/औ.वि.श्रा. अ./77 तारीख 24 अगस्त, 1977 द्वारा उक्त आदेश उपान्तरित किया गया था, और भारत सरकार का औद्योगिक पुनर्गठन निगम लिमिटेड, कलकत्ता को उक्त सम्पूर्ण उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेशों द्वारा समय-समय पर उक्त आदेश की अवधि 24 नवम्बर, 1985 तक, जिसके अंतर्गत यह तारीख भी शामिल है, के लिए बढा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार की राय में उक्त आदेश को तारीख 24 मई, 1986 तक की अग्रेतर अवधि के लिए जिसके अंतर्गत यह तारीख भी शामिल है, प्रभावी रखना लोकहित में समीचीन है ;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 24 मई, 1986 तक जिसके अंतर्गत यह तारीख भी है, की अवधि के लिए और प्रभावी रहेगा ।

[फा.सं. 2(11)/80-सी.यू.एस.]

ए.पी. सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 19th November, 1985

S.O. 837(E)|18A|IDRA|85.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No S.O. 725(E)|18A|IDRA|72, dated the 25th November, 1972 (hereinafter referred to as the said Order), a Board of Management was authorised to take over the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs India Machinery Company Limited, Howrah, for a period of five years up to and inclusive of the 24th November, 1977;

And, whereas the said Order was modified by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 630(E)|18A|IDRA|77, dated the 24th August, 1977 and the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta was authorised to take over the management of the whole of the said undertaking;

And, whereas the duration of the said Order was extended from time to time by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) for a further period up to and inclusive of the 24th November, 1985;

And, whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the duration of the said Order should continue to have effect for a further period up to and inclusive of the 24th May, 1986;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period up to and inclusive of the 24th May, 1986.

[File No. 2(11)|80-CUS.]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985